2020 | 00071

१V

ग्राम तिलस्वां, खातेदार की भूमि नक्शे में दर्ज नहीं है / कब्जा आंशिक हिस्से में है / शेष कब्जा बिलानाम भूमि में है जो खनन विभाग की हद है। बिलानाम भूमि सीमा की में तरमीम करना, अतिक्रमण हटाई जावे, पत्थरगढ़ी ... शेष रकबा के भी कब्जा करना, [illegible]

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
131 RLR ACT	39/20	22/7/20	04/3/25	11/9/24 01/10/24 16/10/24 7/11/24 ~~27/11/24~~ 21/11/24 12/12/24 7/1/25 28/1/25 6/2/25 11/2/25 6/3/25 17/3/25 24/3/25

~~24/12/3~~

24/3/25

3/4/25

खातेदार का आंशिक कब्जा बिलानाम भूमि में है जो खनिज विभाग की रकबाई है जिसकी किस्म गैर मु. मरघट दर्ज है एवं सेटलमेन्ट में अलग नम्बर है।

3/4/25

अनवान

श्री केसर देवी w/o जयकिशन अहीर — श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब

निवासी तिलस्वां — निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट — अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार — मदयून

श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ — श्री TDL

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 28)

...ल अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

~~सरकार~~ देवा देवी बनाम अभियारी तहसी...

...रण मुकदमा - 131 RLR ACT नम्बर 39 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...2-7-2020	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज की जावें। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 25.8..2020 को पेश हों। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
25/8/20	पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण की को तामील प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 15.9.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
15/9/20	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 6.10.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
6/10/20	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 3.11.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
3/11/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 1.12.20 को वास्ते जवाब पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	
1/12/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. बाहर दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 29.12.20 को वास्ते जवाब पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	

APP- A
Crim-5

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

केसर देवी बनाम खातेदारी तहसीलदार

नम्बर मुकदमा 131 नं. 39/20 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/7/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रा... दिनांक 31.8.21 को वास्ते जवाब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
31/8/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व पेशकार उप. जवाब हेतु तहसीलदार बिजौलियां को पुनः पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 21.9.21 को पेश हो।	
21/9/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 26.10.21 को वास्ते जवाब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
11/11/21	प्रत्रावली प्रशासन गाँवो के संग अभियान-2021 में पेश हुई पक्षकार वादी/प्रतिवादी हाजिर/गैर हाजिर पक्षकारों में सहमति नहीं बनने से राजीनामा नहीं हो सका। पत्रावली दि. 22.12.21 को वास्ते जवाब पेश हुई। (उपखण्ड अधिकारी) बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)	
22/12/21	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18.01.22 को पेश हो।	
[illegible].01.2022	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 22.3.22 को वास्ते जवाब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/3/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 3/4/25 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
3/4/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में पेशकार सरकार एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली को अस्वीकार (खारिज) करने के आदेश पारित किए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 39/2020 दायर तारीख 22/09/2020

अनवान

1. केसर देवी पत्नि जय किशन जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।
2. तेती बाई पत्नि उदयलाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।
3. राधा देवी पत्नि माधव जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।

............प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)। .... विपक्षी

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता प्रार्थी।
2. पैरोकार सरकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक 03/04/2025

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र धाकड ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत विरूद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम तिलस्वां प0ह0 तिलस्वां तहसील बिजौलियां में स्थित आराजी खसरा संख्या 777/80 रकबा 4–00 बीघा भूमि प्रार्थीगण के उपयोग उपयोग में चली आ रही है। उक्त वादग्रस्त भुमि का आवंटन प्रार्थीगण से पूर्व खातेदार को आवंटन किया गया तब से काबिज हो काश्त करते आ रहे हैं। और लगान राज्य सरकार में जमा करवाते आ रहा हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम पर कब्जे काश्त में होकर प्रार्थीगण ने उक्त वादग्रस्त भूमि पर स्थायी पत्थरों की दीवार बना रखी हैं। दिनांक 23.01.2020 को प्रार्थीगण द्वारा पटवार हल्का से राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त करने हेतु गया तब पटवार हल्का ने बताया कि आराजी नंम्बर 777/80 रकबा 4 बीघा की मौका स्थिति एवं राजस्व नक्शे में भिन्नता होने बाबत् जानकारी दी। प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज भूमि को विपक्षी के अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा नक्शा ट्रेस एवं वक्क आवंटन कब्जा सिपुर्द किया जिससे भिन्नता आने के कारण उक्त त्रुटि हुई हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा ग्राम तिलस्वां प0ह0 तिलस्वां में स्थित आराजी खसरा संख्या 777/80 रकबा 4–00 बीघा भूमि को मौके पर काबिज अनुसार राजस्व नक्शे में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई।

तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/2021/1589 दिनांक 14.10.2021 से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम तिलस्वां की आराजी नंम्बर 777/80 रकबा 0.6475 हैक्टेयर खातेदार केसरदेवी पत्नी जयकिशन 1/2 जेतीबाई पत्नी उदयलाल 1/4, राधा देवी पत्नी माधवलाल 1/4 अहीर निवासी तिलस्वां के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराज़ी नक्श में तरमीम की हुई हैं इस तरमीम के आधार पर प्रार्थीगण का मौके पर आंशिक हिस्से पर ही कब्जा पाया गया है। शेष कब्जा बिलानाम भूमि खसरा संख्या 990/80 रकबा 1.3435 हैक्टेयर किस्म गे.मू. भटवेड में पाया गया है। उक्त आराजी नं0 990/80 रकबा 1.3435 हैक्टेयर खनिज संभावित दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण कब्जे के अनुसार नक्शे में तरमीम करवाना चाहते हैं। जिसका नजरी नक्शा मौका पर्चा में दर्शाया गया हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दस्तावेज के साथ मौजा नकल जमाबन्दी ग्राम तिलस्वां सम्वत् 2075 से 2078, नकल जमाबन्दी ग्राम तिलस्वां सम्वत् 2075 से 2078, नकल जमाबन्दी ग्राम तिलस्वां सम्वत् 2075 से 2078 एवं नक्शा ट्रेस ग्राम तिलस्वां एवं मौका पर्चा ग्राम तिलस्वां की प्रति संलग्न की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में बताया कि प्रार्थीगण की मौजा ग्राम तिलस्वां प0ह0 तिलस्वां में स्थित आराजी खसरा संख्या 777/80 रकबा 4–00 बीघा भूमि को मौके पर काबिज अनुसार राजस्व नक्शे में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराना फरमावें।

पैरोकार सरकार स्वयं ने बहस में बताया कि ग्राम तिलस्वां की आराजी नंम्बर 777/80 रकबा 0.6475 हैक्टेयर खातेदार केसरदेवी पत्नी जयकिशन 1/2 जेतीबाई पत्नी उदयलाल 1/4, राधा देवी पत्नी माधवलाल 1/4 अहीर निवासी तिलस्वां के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी नक्श में तरमीम की हुई हैं इस तरमीम के आधार पर प्रार्थीगण का मौके पर आंशिक हिस्से पर ही कब्जा पाया गया है। शेष कब्जा बिलानाम भूमि खसरा संख्या 990/80 रकबा 1.3435 हैक्टेयर किस्म गे.मू. भटवेड में पाया गया है। उक्त आराजी नं0 990/80 रकबा 1.3435 हैक्टेयर खनिज संभावित दर्ज रेकार्ड होना बताया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं पैरोकार सरकार के जवाब पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का मौजा ग्राम तिलस्वां प0ह0 तिलस्वां में स्थित आराजी खसरा संख्या 777/80 रकबा 4–00 बीघा भूमि को मौके पर काबिज अनुसार राजस्व नक्शे में दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** अस्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 09/04/2025 को लिखवाया जाकर सुनवाया गया ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां